सं०सं०–1/ज0अ0–02/2018– 50(1)90

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
भागलपुर।

पटना, दिनांक– 26 / 9 /2018

विषयः– जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर को विपत्र कोड–20–2210011100009 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 18,95,89,750/– (रुपये अठ्ठारह करोड़ पन्चानवे लाख नबासी हजार सात सौ पचास) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर के पत्रांक–4236, दिनांक–21.08.2018 के आलोक में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर को विपत्र कोड–20–2210011100009 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न ईकाइयों में कुल रू० 18,95,89,750/– (रुपये अठ्ठारह करोड़ पन्चानवे लाख नबासी हजार सात सौ पचास) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक–17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक–18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर होगें तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0009–भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर, विपत्र कोड–20–2210011100009 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्रमशः

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटनादेश द्वारा मशीनें एवं उपस्कर मद में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मति एवं रख–रखाव के लिए भी राशि शामिल है।

9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

28/9/18

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/ज0अ0–02/2018– 501(1) 90 /स्वा0, पटना, दिनांक– 26/9/2018

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/9/18
सरकार के विशेष सचिव

भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर विपत्र कोड–20–2210011100009 को वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0009.01.01 वेतन	315000000	236250000	78750000	315000000	0
0009.01.03 जीवन यापन भत्ता	35000000	26250000	8750000	35000000	0
0009.01.04 मकान किराया भत्ता	31923000	23942250	7980750	31923000	0
0009.01.05 परिवहन भत्ता	8134000	6100500	2033500	8134000	0
0009.01.06 चिकित्सा भत्ता	8064000	6048000	2016000	8064000	0
0009.01.07 अन्य भत्ता	35438000	26578500	8859500	35438000	0
योग– वेतन एवं भत्ते	**433559000**	**325169250**	**108389750**	**433559000**	**0**
0009.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	600000	300000	300000	600000	0
0009.11.01 यात्रा व्यय	100000	50000	50000	100000	0
0009.13.01 कार्यालय व्यय	7000000	3500000	3500000	7000000	0
0009.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	1000000	500000	500000	1000000	0
0009.13.03 दूरभाष	200000	100000	100000	200000	0
0009.13.04 विद्युत प्रभार	15000000	15000000	0	15000000	0
0009.13.05 विधि प्रभार	100000	100000	0	100000	0
0009.13.06 वर्दी/पोशाक	500000	250000	250000	500000	0
0009.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	500000	250000	250000	500000	0
0009.14.01 किराया महसूल एवं कर	1500000	1500000	0	1500000	0
0009.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	50000	100000	0
0009.20.02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	200000	100000	100000	200000	0
0009.20.03 प्रशिक्षण व्यय	100000	50000	50000	100000	0
0009.21.01 सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	10000000	5000000	5000000	10000000	0
0009.21.02 दवा भण्डार	100000000	75000000	25000000	100000000	0
0009.21.03 आहार/पथ्य	30000000	22500000	7500000	30000000	0
0009.27.02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	10000000	0	0	0	10000000
0009.28.01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	0	0	0	0
0009.28.02 संविदा सेवायें	110000000	82500000	27500000	110000000	0
0009.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	14400000	14400000	0	14400000	0
0009.51.01 मोटर गाड़ी– कार्यालय	100000	50000	50000	100000	0
0009.52.01 मशीनें एवं उपस्कर– कार्यालय	2000000	1000000	1000000	2000000	0
0009.52.02 मशीनें एवं उपस्कर – अन्य	20000000	10000000	10000000	20000000	0
कुल योग :–	**756959000**	**557369250**	**189589750**	**746959000**	**10000000**

(रुपये अठ्ठारह करोड़ पन्चानवे लाख नबासी हजार सात सौ पचास)

50(1) 90
26-9-18

सरकार के विशेष सचिव